बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

दिनांक– 06.06.2018 को 12:30 बजे अपराह्न में माननीय विभागीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में वर्तमान गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था तथा "हर घर नल जल" के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय स्तर के वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम वर्तमान गर्मी के मौसम में विभाग की ओर से की गयी तैयारियों की समीक्षा हुई। विभागीय मंत्री महोदय को बताया गया कि वर्तमान गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या के आकलन एवं उसके निदान हेतु निम्न कार्रवाई की जा रही हैः–

- पेयजल की संभावित समस्या के आकलन हेतु प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू–जल स्तर की मापी साप्ताहिक रूप से ली जा रही है एवं उसका विश्लेषण मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है। चापाकलों की मरम्मति का कार्य सभी जिलों में कराया जा रहा है।
- आम लोगों की शिकायतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से टॉल फ्री नम्बर 1800–123–1121 कार्यरत है।
- सभी लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल में नियंत्रण कक्ष कार्यशील है।
- राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में 380 जल टैंकर एवं उत्तरी भाग के 21 जिलों में 145 जल टैंकर उपलब्ध है।
- चापाकलों की मरम्मति हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल में चलंत मरम्मति दल की व्यवस्था है तथा अब तक कुल 12,900 चापाकलों की मरम्मति की गयी है।
- राज्य के 49 ग्राम/बसावटों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गयी है।

विभागीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था हर हालत में सुनिश्चित की जाए तथा चापाकलों की मरम्मति के किये गये कार्यों का रैण्डम तरीके से स्थल निरीक्षण कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाए ताकि क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे कार्य की वास्तविक रूप से मॉनेटेरिंग हो सके तथा आम जनता को इससे लाभ मिल सके।

"हर घर नल का जल" कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत बताया गया कि "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" एवं राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सब–मिशन (NRDWP) के तहत फ्लोराईड, आर्सेनिक एवं लौह प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 3831 वार्ड के विरूद्ध 2979 योजनाएँ, आर्सेनिक प्रभावित 5246 वार्ड के विरूद्ध 1178 वार्ड के लिए योजनाएँ तथा लौह प्रभावित 21096 वार्ड के विरूद्ध 4809 वार्ड के लिए योजनाएँ स्वीकृति की गयी है। लौह प्रभावित क्षेत्रों के कुल वार्डों के 60 प्रतिशत वार्ड के लिए वर्ष 2018–19 तक डी0पी0आर0 बनाकर योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

उक्त स्वीकृत योजनाओं में से फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्र में 182 ग्रुप के लिए आमंत्रित निविदाओं में से 119 ग्रुपों के लिए एकरारनामा कर 75 ग्रुप में काम प्रारंभ किया गया है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 118 ग्रुपों में निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें से 69 योजनाओं में एकरारनामा कर 56 ग्रुपों में कार्य प्रारंभ किया गया है। लौह प्रभावित क्षेत्र में 187 ग्रुपों में निविदा आमंत्रित की गयी है जिसमे से 13 ग्रुपों में निविदा का निष्पादन किया गथा है जिसके तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

इसके साथ ही बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में विमर्श के उपरांत मंत्री महोदय द्वारा निम्न निदेश दिये गये:–

- आमंत्रित निविदाओं का निष्पादन शीघ्र किया जाए ताकि योजनाओं का कार्यक्रम शीघ्रता से पूरा किया जा सके। हर स्तर पर कैंप का आयोजन कर निविदाओं का निष्पादन किया जाए।
- स्वीकृति हेतु शेष बची योजनाओं के लिए डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार किया जाए एवं लक्षित सभी वार्डों के लिए डी0पी0आर0 दो माह में तैयार कर स्वीकृति के उपरान्त निविदा की कार्रवाई की जाए।
- पूर्व से निर्मित पाईप जलापूर्ति योजनाओं में भी "हर घर नल जल" हेतु डी0पी0आर0 की तैयारी एवं स्वीकृति काफी कम हुई है जो खेदजनक है। अतएव 10 जुलाई' 2018 तक सभी पाईप जलापूर्ति योजनेाओं से हर घर नल जल हेतु सभी डी0पी0आर0 मुख्यालय में जमा कराया जाए तथा माह जुलाई' 2018 के अंत तक स्वीकृति कार्रवाई की जाए।
- जिन योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा दे दी जाती है वैसी योजनाओं में क्षेत्रीय स्तर से निविदा तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप

से प्रकाशित करायी जाए एवं एतत् संबंधी निविदाओं का निष्पादन हेतु समय–सीमा भेजे गये निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) की तिथि से दो माह के अंदर यथासंभव रखा जाए।

- लौह प्रभावित क्षेत्रों में निविदा में कम प्रतिभागी भाग ले रहे है, इस पर भी विभाग द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में अभियंता प्रमुख मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं की एक समिति के रूप में बैठक कर अगले 15 दिन में व्यवहारिक एवं तर्कसंगत अर्हता निर्धारित करने हेतु कार्रवाई करें। साथ ही उक्त समिति द्वारा संवेदकों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के संबंध में भी अनुशंसा की जाए।
- मुख्यालय स्तर से राशि के आवंटन में विलंब नहीं हो, इसका ख्याल रखे तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अधियाचना प्राप्त होने पर 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से कार्रवाई हो।
- "हर घर नल जल" की योजनाओं के कार्यान्वयन में संवेदकों द्वारा डिजाईन एवं ड्राईंग के अनुमोदन में कठिनाई पर चर्चा हुई। इस संबंध में यह मंतव्य गठित हुआ कि प्रारंभिक तौर पर ड्राईंग एवं डिजाईन का मानक प्राक्कलन क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है, उसके आधार पर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अपने क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के Soil bearing capacity के आधार पर ड्राईंग डिजाईन अनुमोदित कर कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध करायेंगे।
- योजना के क्रियान्वयन में Mode Payment को Streamline तथा तर्कसंगत बनाया जाए ताकि योजनाओं में कृत कार्य विरूद्ध भुगतान एवं योजना बजट को राशि का ससमय व्यय सुनिश्चित हो सके।
- कार्यान्वित की जा रही विभिन्न बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजनाओं को भी चालू करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए।
- विभाग के अंतर्गत विभिन्न निरीक्षण भवन को भी जिर्णोद्धार कर कार्यशील बनाया जाए। इस हेतु प्राक्कलन तैयार कर कार्रवाई की जाए।
- क्षेत्रीय कार्यालय को सुव्यवस्थित कराकर ठीक कराया जाए ताकि कार्यालयों की स्थिति बेहतर हो सके।
- योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता की जाँच की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।

- अनुकम्पा पर नियुक्ति संबंधी मामले का शीघ्रता से निष्पादन किया जाए।
- लंबित आरोपों/कार्यवाही के मामलों की समीक्षा कर उसके निष्पादन की कार्रवाई की जाए। संयुक्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी अविलंब सभी प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध कर उसकी एक प्रति उपलब्ध करावें।
- मुख्यालय स्तर पर वरीय पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जाए तथा क्षेत्र के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता प्रत्येक माह योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।
- विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही विभागीय वेबसाईट पर डाली जाए।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि "हर घर नल जल योजना" सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका कार्यान्वयन तेजी से समयबद्ध तरीके में कराया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। इनमें किसी तरह की लापरवाही एवं कोताही नहीं बरती जाए।

धन्यवाद ज्ञापान के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

Smishra 4.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6/वि01-1016/14 1386 /दिनांकः– 4/7/18

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश है कि बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सम्पादित कराया जाए।

Smishra 4.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 1386 /दिनांकः–4/7/18

प्रतिलिपिः–मुख्यालय के सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Smishra 4.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 1386 /दिनांकः– 4/7/18

प्रतिलिपिः–विभागीय सचिव, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

4.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 1386 /दिनांकः– 4/7/18

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

4.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव